

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहस्रत्राधरा, देहरादून-248001

Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2311

दिनांक 09-06-2023

:—आदेश:—

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कालॅम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेन्द्र सिंह पाल	अभिहित अधिकारी	हरिद्वार	टिहरी गढवाल	जनहित

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्राधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2313

दिनांक 09.06.2023

:—आदेश:—

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री महिमानन्द जोशी	अभिहित अधिकारी	टिहरी	हरिद्वार	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 सजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2314

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त



कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधरा, देहरादून-248001
Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/ 2315

दिनांक 09.06.2023

:—आदेश:—

उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रकाश चन्द्र फुलारा	प्रभारी अभिहित अधिकारी	बागेश्वर	उधमसिंह नगर	पदोन्नति पर

2.—उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3.—उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा० आर० राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03— निजी सचिव, मा० स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04— सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04— सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05— समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06— सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07— आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08— मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09— सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10— गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त



कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्राधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2317

दिनांक 09.06.2023

:--आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ललित मोहन पाण्डे	प्रभारी अभिहित अधिकारी	उधमसिंह नगर	बागेश्वर	पदोन्नति पर

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3.-उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 सजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2319

दिनांक 09.06.2023

:--आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री योगेन्द्र पाण्डे	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	देहरादून ग्रामीण	रूडकी	स्वयं के अनुरोध पर

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्राधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/ 2321

दिनांक 09.06.2023

:--आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संदीप मिश्र	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	रूडकी, हरिद्वार	श्रीनगर, पौड़ी	जनहित

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अभ्युक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराडा, सहास्रधारा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2323

दिनांक 09.06.2023

:—आदेश:—

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय तिवारी	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	ऋषिकेश, देहरादून	एफ0डी0ए0 मुख्यालय अतिरिक्त प्रभार मसूरी/विकासनगर	जनहित

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 रमेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2324

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधारा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडी0ए0/202/2022/ 2325

दिनांक 09.06.2023

:—आदेश:—

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सुश्री योगिता तिवारी	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	चम्पावत्	पिथौरागढ अतिरिक्त चम्पावत्	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहस्राधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/ 2327

दिनांक 09.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कालॅम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री असलम खॉ	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	चमोली	रामनगर	जनहित

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 रणेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधारा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडी0ए0/202/2022/2329

दिनांक 09.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आशा आर्य	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खटीमा, उधमसिंह नगर	अल्मोडा	जनहित

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3.-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा० अरि० राजेश कुमार)
आयुक्त

तददिनांक

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडी0ए0/202/2022/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा० स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)

तथागी त्पाराक्त



Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्राधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/ 2331

दिनांक 09.06.2023

:--आदेश:--

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री बलवन्त सिंह चौहान	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	श्रीनगर पौडी	नरेन्द्र नगर टिहरी अतिरिक्त प्रभार उत्तरकाशी	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा० आर० राजेश कुमार)
आयुक्त

तददिनांक

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा० स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/ 2333

दिनांक 09.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अभय कुमार	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	अल्मोडा	हल्द्वानी नगर निगम प्रथम	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त



कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहस्राधरा, देहरादून-248001

Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/२५३५

दिनांक ०९.०६.२०२३

:—आदेश:—

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिलीप कुमार जैन	व०खाद्य सुरक्षा अधिकारी	पिथौरागढ	हरिद्वार तहसील	जनहित

2.—उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3—उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा० आर० राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03— निजी सचिव, मा० स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04— सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04— सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05— समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06— सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07— आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08— मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09— सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10— गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)

तथागी उपायुक्त



Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधारा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/ 2337

दिनांक 09.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रमेश सिंह	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	नगर निगम प्रथम, देहरादून	नगर निगम द्वितीय तथा ऋषिकेश अतिरिक्त प्रभार	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्राधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/2339

दिनांक 09.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कालॅम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शारदा शर्मा	व०खाद्य सुरक्षा अधिकारी	टिहरी	तहसील रूद्रप्रयाग	जनहित

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा० आर० प्रमोद कृष्ण)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफडीओए/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा० स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा० स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त



कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2341

दिनांक 09.06.2023

:--आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कालम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मंजू कुमारी	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	विकासनगर, देहरादून	एफ0डी0ए0 मुख्यालय	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 सजेश कुमार)
आयुक्त 6/6/2023

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)



कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्राधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/2343

दिनांक 04.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती / प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अर्पणा शाह	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	सितारगंज	काशीपुर	जनहित

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3.-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध कराये अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त



कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/ 2345

दिनांक 09.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संतोष कुमार	व0खाद्य सुरक्षा अधिकारी	हरिद्वार	चमोली	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय की उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
आयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)
प्रभारी, उपायुक्त



कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun



डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधरा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/ 2347

दिनांक 09.06.2023

:-आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कपिल देव	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	लक्सर तहसील	हरिद्वार नगर निगम	तहसील लक्सर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद नही होने के कारण

2.-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3.-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नही किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नही किया जायेगा।।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)

तथाजी न्यायक



Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of Commissioner, Food Safety and Drug Administration, Uttarakhand, Dehradun

डाण्डा लखौण्ड, पो.ओ. गुजराड़ा, सहास्रधारा, देहरादून-248001



Danda Lakhond, P.O. Gujrada, Sahastradhara Road, Dehradun-248001



पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/ 2349

दिनांक 09.06.2023

:--आदेश:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के निम्न उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 में उल्लिखित प्रभार से अवमुक्त करते हुये कॉलम 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल/प्रभार स्थानान्तरित करते हुए एतद्वारा तैनात किया जाता है:-

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती/प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नन्द किशोर	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	रामनगर	रूदपुर तहसील	जनहित

2-उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर 03 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अधिकारी नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)

अयुक्त

पत्रांक- 26/1/औषधि/एफ0डी0ए0/202/2022/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) भवन कौलागढ देहरादून।
- 02- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 03- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 04- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 04- सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस अनुरोध के साथ है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 05- समस्त प्रभारी उपायुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 06- सम्बन्धित अभिहित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर तत्काल उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- 07- आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 08- मुख्य कोषाधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
- 09- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ है कि तत्काल प्रभार प्रमाण पत्र भरते हुये नवीन तैनाती स्थान पर योगदान सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति आपका माह जून 2023 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। ।
- 10- गार्ड फाईल।

(गणेश चन्द्र कण्डवाल)

प्रभारी, उपायुक्त

